NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

No. 40/2020–Central Tax

G.S.R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.35/2020- Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to the 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 31st day of May, 2020.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सं. 41/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 275(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 44 की उपधारा (1)के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्तनियम कहा गया है) के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 198(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

No. 41/2020–Central Tax

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), and in supersession of notification No. 15/2020-Central Tax, dated the 23rd March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

Sub-section (i), vide number G.S.R. 198(E), dated the 23rd March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till the 30th September, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सं. 42/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 276(अ).— आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर,भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, छठा परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, जिनका मूल कारोबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, जिनका मूल कारोबार स्थान लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, नवंबर, 2019 से दिसंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, जिनका मूल कारोबार स्थान लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 मई, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।"।

2. यह अधिसूचना 24 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 25/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 208(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी ।